**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3092

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**विश्वविद्यालय के परिसर में निजी कंपनियों के पाठ्यक्रम**

**3092. महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदियाः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय के परिसरों में निजी कंपनी के पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे विश्वविद्यालय के जिम्मेदार प्राधिकारी पर की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित नियमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय केवल उन डिग्रियों को अवार्ड कर सकता है जोकि यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा अनुमोदित डिग्रियों की सूची http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1061840\_specification-of-degrees-july-2014.pdf पर उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*\*